सत्यमेव जयते

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार / Government of India

दिनांक: 19 जुलाई, 2023

निर्देश

विषय: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 13, धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) और (v) के साथ पठित, के अंतर्गत, दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (2018 का 6) के तहत यूसीसी डिटेक्ट सिस्टम के कार्यान्वयन के संबंध में, निर्देश।

मि.सं. आरजी-25/(22)/2023-क्यूओएस - जबकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) (इसके बाद "भादूविप्रा अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 की उप-धारा(1) के अंतर्गत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) को दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए, अन्य बातों के साथ साथ, कुछ कार्यों का निर्वहन सौंपा गया है; जैसे विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर-संबंध सुनिश्चित करना; सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करना और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं का आवधिक सर्वेक्षण करना ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके;

2. और जबकि प्राधिकरण ने, भादूविप्रा अधिनियम की धारा 36, धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (v) और उप-धारा (1) के खंड (ग) के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण को विनियमित करने के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (2018 का 6) दिनांक 19 जुलाई, 2018 (बाद में "विनियमों" के रूप में संदर्भित) बनाया;

3. और जबकि प्राधिकरण ने 13 जून 2023 को, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 13, धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) एवं (v) के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विनियमों के प्रावधानों के तहत, सभी एक्सेस प्रदाताओं को, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्देशित किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित यूसीसी_डिटेक्ट सिस्टम को तैनात करें जो अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) द्वारा

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरु मार्ग / Mahanagar Doorsanchar Bhawan, Jawahar Lal Nehru Marg
(ओल्ड मिंटो रोड), नई दिल्ली-110002 / (Old Minto Road), New Delhi-110002
फैक्स /Fax : +91-11-23213294, ईपीबीएक्स नं. /EPBX No. : +91-11-23664145 वेबसाइट/Website: www.trai.gov.in

उपयोग किए जाने वाले नए सिगनेचर, नए पैटर्न और नई तकनीकों से निपटने के लिए लगातार विकसित होने में सक्षम हो;

4. और जबकि प्राधिकरण का विचार है कि एआई/ एमएल आधारित यूसीसी_डिटेक्ट सिस्टम का अनधिकृत उपयोग न होना सुनिश्चित करने के लिए और उपभोक्ता डेटा के बचाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम के उपयोग में अत्यधिक देखभाल और सावधानी बरते जाने के लिए पर्याप्त और प्रभावी जांच-बिंदुओं को स्थापित करने की आवश्यकता है;

5. इसलिए, अब, प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 13, धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) एवं (v) के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विनियमों के प्रावधानों के तहत, सभी एक्सेस प्रदाताओं को निर्देश देता है कि: -

i. *सुनिश्चित करें कि इन प्रणालियों और प्लेटफार्मों के माध्यम से उत्पन्न डेटा का उपयोग केवल दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 के तहत यूसीसी डिटेक्ट सिस्टम के कार्यान्वयन के संबंध में प्राधिकरण के निर्देश दिनांक 13 जून 2023 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, और यह भी सुनिश्चित करें कि डेटा का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, और इन प्रणालियों और प्लेटफार्मों के माध्यम से उत्पन्न डेटा को डाउनलोड करना या साझा करना या किसी अन्य प्लेटफॉर्म/ डिवाइस के माध्यम से इसे संसाधित करना संभव नहीं होगा;*

ii. *सुनिश्चित करें कि सख्त अभिगम नियंत्रण (एक्सेस कंट्रोल) का पालन किया जाएगा, जिसमें केवल अधिकृत व्यक्ति/ एजेंसियों को, सरकार, या भादूविप्रा, या इस संबंध में सरकार या भादूविप्रा द्वारा सशक्त किसी इकाई से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, सिस्टम तक पहुंचने की अनुमति दी जाएगी, और अभिगम के संबंध में लॉग बनाए रखा जाएगा;*

iii. *सुनिश्चित करें कि गतिविधि लॉग और सिस्टम ट्रेल्स को न्यूनतम दो वर्षों की अवधि के लिए या जैसा कि समय-समय पर सरकार या भादूविप्रा द्वारा निर्धारित किया जाता है, के अनुसार ऑनलाइन बनाए रखा जाएगा;*

iv. *जैसा कि सरकार, या भादूविप्रा, या सरकार या भादूविप्रा द्वारा समय-समय पर अधिकार प्राप्त इकाई द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, के अनुसार आवश्यक अपेक्षित सुरक्षा सुविधाओं के साथ अपने प्लेटफार्मों और प्रणालियों के विकास के लिए एक विश्वसनीय निष्पादन वातावरण बनाएं ;*

v. *सरकार, या भादूविप्रा, या इसके द्वारा नामित एजेंसियों जैसे सीईआरटी-आईएन/ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध या नियुक्त सुरक्षा लेखा परीक्षक के माध्यम से, सरकार, या भादूविप्रा द्वारा प्रदान की गई आवश्यक प्रमाणन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करना;*

vi. *सरकार या भादूविप्रा, या सरकार या भादूविप्रा द्वारा सशक्त किसी इकाई, जिसमें सरकार या भादूविप्रा द्वारा अधिकृत एजेंसियां या इस संबंध में सरकार द्वारा सशक्त संस्थाएं शामिल हैं, द्वारा नियमित सिस्टम ऑडिट की सुविधा प्रदान करना;*

vii. *यह सुनिश्चित करने के लिए कि एआई/ एमएल सिस्टम का अनधिकृत उपयोग न हो और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अनुसार उपभोक्ता डेटा के बचाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम के उपयोग में अत्यधिक देखभाल और सावधानी बरती जा रही हैं, पर्याप्त और प्रभावी आंतरिक जांच-बिन्दु स्थापित करें।*

6. सभी एक्सेस प्रदाताओं को उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करने और इस निर्देश के जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर एक अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया जाता है।

हस्ता/-
(जयपाल सिंह तोमर)
सलाहकार (क्यूओएस-II)

प्रति,

सभी एक्सेस प्रदाता (बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित)